निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 19 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के माह 02/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक, द्वारा दिनांक 19/06/2018 से 26/06/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार व सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 02/02/2015 से 06/02/2015 तक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2013 से 01/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह है कि निर्माण कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला पौड़ी गढ़वाल, क्षेत्र, उत्तराखंड।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (समर्पित)
2015-16	--	-	133.50	128.94	-	-	4.56	-
2016-17	--	-	125.51	106.23	-	-	19.28	-
2017-18	-	-	129.23	115.26	-	-	13.97	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम(नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
	शून्य				

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग में

प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष)

मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,स्तर-2,मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़, मुख्य अभियंता परियोजना गडवाल यमुना कालोनी देहरादून, मुख्य अभियन्ता परिकल्प रुड़की

अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियंता,

सहायक अभियंता,

कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग में

वित्त नियंत्रक , खंडीय लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी , प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्क सहायक।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 व 10/2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक..... एवं ..... को लेखा परीक्षा की गई
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमशः माह ..... तथा .....तक की गई।
5. **फॉर्म-51**: माह ..... तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

भाग प्रथम- रुपए .....

भाग द्वितीय- रुपए .....

6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष ..... के अंत में

1.नकद परिशोधन- शून्य

2.सामग्री क्रय- शून्य

3.निक्षेप पंजिका- ₹ .....

4.प्रकीर्ण अग्रिम- .....

5.भंडार- .....

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या इकाई की विगत लेखापरीक्षा पत्रावली उपलब्ध नहीं है ।	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
योग	00	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

इकाई की विगत लेखापरीक्षा पत्रावली उपलब्ध नहीं है ।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री एस एन थपलियाल	अधीक्षण अभियंता
(ii)	श्री जयपाल सिंह	अधीक्षण अभियंता
(iii)	श्री चन्द्रशेखर सिंह	अधीक्षण अभियंता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

शून्य

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II